न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री चन्द्रभान सिंह भाटी, आर.ए.एस.

विविध प्रकरण संख्या : 75/2021
GCMS No-2021/223

प्रार्थी:—	बनाम	अप्रार्थी :—
श्री आनन्द कुमार खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली		श्री महेन्द्र अरोडा पुत्र श्री विठ्ठल दास अरोडा मैसर्स चेतना होटल सैन्ट्रल एकेडमी स्कुल के पास हाउसिंग बोर्ड पाली

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विनियम 2011 उपस्थित :—

1. खाद्य सुरक्षा अधिकारी
2. अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक अरोडा उपस्थित।

—: निर्णय :—

दिनांकः— 16-1-2023

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। उभयपक्ष बहस सुनी गई।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया कि वर्तमान में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली में पदस्थापित है। दिनांक 04.01.2021 को दौराने गश्त अप्रार्थी श्री महेन्द्र अरोडा पुत्र श्री विठ्ठल दास अरोडा की फर्म मैसर्स चेतना होटल सैन्ट्रल एकेडमी स्कुल के पास हाउसिंग बोर्ड पाली पर गया जहां पर अप्रार्थी महेन्द्र अरोडा उपस्थित मिला जिसे प्रार्थी ने अपना परिचय खाद्य सुरक्षा अधिकारी के रूप में दिया। अप्रार्थी की दुकान में रखे फिज्र का निरीक्षण करने पर पाया गया कि फिज्र में 5 किलोग्राम पनीर आमजन को बिक्री हेतु रखा गया था। जिसमे मिलावट का शक होने पर मौके पर प्रपत्र 5ए भरकर दिया तथा दुसरे प्रपत्र 5ए पर रसीद प्राप्त की। प्रपत्र 5ए देने से पहले विक्रेता व गवाह को यह बता दिया कि यह नमूना वास्ते जावं एफएसएसएक्ट के तहत ले रहा हुं। प्रपत्र 5ए पर प्रार्थी विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता एवं गवाहान की उपस्थित में फिज्र में रखे पनीर में से 800 ग्राम पनीर वास्ते जांच हेतु क्रय कर उसकी कीमत 250/—रूपये नकद विक्रेता को देकर रसीद प्राप्त की जिस पर गवाह, प्रार्थी एंव विक्रेता के हस्ताक्षर है। क्रयशुदा पनीर को बराबर चारो भागो में विभक्त कर प्रत्येक भाग को नियमानुसार सीलबंद किया तथा विक्रेता एंव गवाहान के सामने सील चपड़ी करके प्रत्येक पर डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी पाली का कोड व सिरियल नम्बर आर—1201 अंकित कर नमुने का विवरण लिख दिया एवं प्रत्येक को नियमानुसार सीलबंद सीलमुहर किया एवं सभी पर विक्रेता, गवाहान एवं स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। मौके पर विक्रेता एवं गवाहान के समक्ष मौका फर्द तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाया व हस्ताक्षर करने को कहा जिन्होने स्वंय ने भी पढकर, सुनकर व समझकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये एवं स्वंय खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये, जिसे नियमानुसार स्वंय खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर में जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। खाद्य विश्लेषक एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर की जावं रिपोर्ट संख्या एलएस/08/एक्ट/2020/106 दिनांक 12.01.2021 के अनुसार अप्रार्थी की दुकान से लिया गया पनीर का नमुना क्रमांक आर—1201 अमानक स्तर (Sub Standerd) पाया गया। विक्रेता महेन्द्र कुमार अरोडा ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया है, जो एफएसएस एक्ट की धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवं अप्रार्थी पर भारी से भारी जुर्माना अधिरोपित किया जावे।

अप्रार्थी अधिवक्ता ने वक्त बहस प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में वर्णित सभी तथ्यों को नकारते हुए कथन किया कि प्रार्थी ने अप्रार्थी की होटल से पनीर का नमुना लेते समय

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली (राज.)

खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रक्रिया का पालना नही की है। प्रार्थी की होटल में खाद्य पदार्थ तैयार किया जाता है, न की पनीर का विक्रय किया जाता है जबकि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने प्रार्थना पत्र में लिखा है कि अप्रार्थी की फर्म पर अप्रार्थी पनीर का विक्रय आमजन को विक्रय कर रहा था जो निराधार है जबकि वास्तविकता में अप्रार्थी ने प्रार्थी द्वारा लिया गया पनीर नटराज डेयरी पाली से क्रय किया था जिसका बिल पेश किया है। उक्त पनीर अप्रार्थी अपने घर के उपयोग के लिए खरीद कर लाया था, न की अपनी होटल के लिए। अप्रार्थी द्वारा पनीर का उत्पादन नही किया जाता है एवं न ही किसी प्रकार का विनिर्माण भण्डारण या वितरण किया जाता है, ऐसी स्थिति में अप्रार्थी को दोषी मानकर किसी प्रकार की कार्यवाही करना न्यायोचित प्रतित नही होता है। अतः श्रीमान से निवेदन है प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण खारिज फरमाकर मुझे राहत प्रदान करावें।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी पाली द्वारा अप्रार्थी श्री महेन्द्र अरोडा पुत्र श्री विठ्ठल दास अरोडा मैसर्स चेतना होटल सैन्ट्रल एकेडमी स्कुल के पास हाउसिंग बोर्ड पाली से नमुना क्रमांक आर–1201 पनीर का नमुना लेते समय नियमानुसार नमुना प्रपत्र तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर कराये प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया कि अप्रार्थी अपनी होटल पर आमजन को पनीर का विक्रय कर रहा था, लेकिन अप्रार्थी ने अपने जवाब में स्पष्ट किया कि उक्त पनीर प्रार्थी न तो विक्रय कर रहा था न ही अपनी होटल में उपयोग कर रहा था। अप्रार्थी द्वारा उक्त पनीर अपने घर में उपयोग हेतु नटराज डेयरी पाली से क्रय किया था जिसका बिल अप्रार्थी ने अपने जवाब के साथ पेश किया है, अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार से पनीर का उत्पादन, भण्डारण या वितरण नही किया है, उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अप्रार्थी पर किसी प्रकार की शास्ति आरोपित करना न्यायोचित प्रतित नही होता है।

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(2) के तहत खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

निर्णय आज दिनांक 16-1-2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट पाली (राजस्थान)